न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्री अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

राजस्व प्रकरण संख्याः–14/2013

दायर तारीख :– 09.04.2013

अनवान

01 मोहन पुत्र नाथू जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी झाड़ोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा **(मृतक)**

1.1 हजारी पुत्र मोहन जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी झाड़ोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

1.2 खाना पुत्र मोहन जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी झाड़ोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

1.3 केसर पुत्री मोहन जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी झाड़ोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

02. अमरलाल पुत्र नाथू जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी झाड़ोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

03. नन्दु पुत्री नाथू पत्नि लक्ष्मीनारायण जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा **(मृतक)**

3.1 गोपी पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा

.....वादीगण

बनाम

01. नोजी पुत्र नाथू जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा **(मृतक)**

1.1 **सोला पुत्र नगजीराम** जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी देरोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

1.2 **गुलाबी पुत्री नगजीराम** जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी देरोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

1.3 फोरी पुत्री **नगजीराम** जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी देरोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

02. जीवन पुत्र गोपाल जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी झाड़ोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (मृतक)

2.1 **कैलाश पुत्र जीवन** जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी झाड़ोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

2.2 **छोटू पुत्र जीवन** जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी झाड़ोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

2.3 **रामपाल पुत्र जीवन** जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी झाड़ोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

2.4 **केशर पत्नि जीवन जाति** अहीर उम्र वयस्क निवासी झाड़ोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

2.5 **इन्द्रा पुत्री जीवन जाति** अहीर उम्र वयस्क निवासी झाड़ोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

2.6 **चान्दु पुत्री जीवन जाति** अहीर उम्र वयस्क निवासी झाड़ोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

2.7 **लीला पुत्री जीवन जाति** अहीर उम्र वयस्क निवासी झाड़ोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

03. गोपाल पिता लक्ष्मीनारायण अहीर उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

04. सुशीला पत्नि गंगाराम जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

05. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

..... प्रतिवादीगण

उपस्थित :– **01.** श्री गिरधारीलाल आचार्य – अधिवक्ता वादीगण

02. श्री मुकेश धाकड़ – प्रतिवादीगण

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक 28/08/2024

वादीगण द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा धारा 88 188 रा. टि. एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। बाद जांच सीगे की रिपोर्ट से वादपत्र दर्ज योग्य होने की पेश होने से दर्ज वादपत्र नियमित राजस्व दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन के की गयी।

वादपत्र के अभिवचन अनुसार मौजा झाडोली प0ह0 आरोली तहसील बिजौलियां स्थित गत बन्दोबस्ती आराजी खसरा नं. 124/5 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नं. 181/1 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं. 186/2 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नं. 210 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नं. 211 रकबा 15 बिस्वा, खसरा 212 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं. 213 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नं. 215 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नं. 216 रकबा 2 बिस्वा कुल किता 10 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा नाथू पुत्र दूल जी अहिर के अकेले के खाते में दर्ज रही कृषि भूमि थी।

गतबन्दोबस्ती खसरा नम्बरान की भूमि नाथू पिता दूल जी अहिर के नाम पर दर्ज अभिलेख थी। किन्तु गत बन्दोबस्त खसरा नं. 212 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा का वर्तमान बन्दोबस्ती खसरा नं. 515 बनाकर रकबा 2 बीघा गत बन्दोबस्ती खसरा नं. 210 व 211 दोनों को मिलाकर वर्तमान बन्दोबस्त में खसरा नं. 517 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा व खसरा नं. 754/216 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा बना दर्ज राजस्व दर्ज अभिलेख किया गया। उक्त नम्बरान के अतिरिक्त शेष खातेदारी भूमि वादीगण व प्रतिवादी नं. एक के नाम पर नाथू पिता दूल अहिर के नाम दर्ज की गयी। किन्तु वादग्रस्त खसरा नम्बर की कृषि भूमि को वर्तमान बन्दोबस्त कार्यवाही के दौरान खसरा नं. 515 रकबा 2 बीघा, खसरा नं. 517 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा व खसरा नं. 754/516 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा से कुल किता 3 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा को हर लाल पिता दूलजी अहिर की खातेदारी में दर्ज कर दिया जो अवैध है। क्योंकि बन्दोबस्त अधिकारियों को बिना सक्षम न्यायालय की डिक्री अथवा आदेश के बन्दोबस्त पूर्व दर्ज खातेदार से नाम हटाकर किसी अन्य व्यक्ति को खातेदारी दिये जाने के अधिकार बन्दोबस्ती अधिकारी को नही है। बन्दोबस्त अधिकारियों को केवल रकबे की फलावट, लगान व किस्म में परिर्वतन करने का अधिकार है। न तो बन्दोबस्त अधिकारियों को बटवाडा करने का अधिकार है न ही किसी खातेदार में भूमि में दर्ज करने का अधिकार है। इसलिए बन्दोबस्ती अधिकारी का नाथू पुत्र दूलजी अहिर की खातेदारी भूमि को हरला पिता दूल जी अहिरकी खातेदारी में दर्ज करना उनका अनुचित व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरित की गयी कार्यवाही है।

नाथू पिता दूल जी अहिर की मृत्यु काफी अर्सा पूर्व हो गयी। वादीगण नाथू पिता दूल जी के पुत्र एवंम पुत्रियां है। उन्हे बन्दोबस्त विभाग के अधिकारी द्वारा विधि विरूद्ध व त्रुटी पूर्व इन्द्राज को सही कराने के लिए समक्ष न्यायालय में धारा 88 रा0टि0एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर अपने खाते में दर्ज कराने का अधिकार है वादग्रस्त जायदाद पर वादीगण नाथू पुत्र दूलजी अहिर के पश्चात् वादीगण काबिज हो काश्त कर रहे है।

हरला पिता दूलजी अहिर की भी मृत्यु हो गयी है। उसका एक मात्र पुत्र गोपाल पिता हरला अहिर हुआ जिसकी भी मृत्यु हो गयी है। उसके प्रतिवादी नं. 2 पुत्र व पुत्री नानी प्रतिवादी नं. 3 है। हरला जी की पुत्री गोपाली व पत्नि की मृत्यु भी अर्सा पूर्व जो वादीगण की जानकारी अनुसार दौनो की मृत्यु हरला जी के जीवन काल में ही हो गयी। इसलिए हरला जी की मृत्यु के बाद वादग्रस्त जायदाद प्रतिवादी नं. 2 व 3 के नाम पर दर्ज हुयी जो अवैध है।

हरला पुत्र दूलजी की खातेदारी अलग से भूमि दर्ज थी जो उनके उत्तराधिकारियों के नाम पर पहले से ही दर्ज है। वादग्रस्त जायदाद के नाथू पिता दूल जी अहिर खातेदार थे। बन्दोबस्त अधिकारीने नाथू पिता दूलजी अहिर की खातेदारी में दर्ज भूमि को पुश्तैनी जायदाद मानते हुए वादग्रस्त जायदाद को उसके भाई हरला पुत्र दूल जी अहिर की खातेदारी में बंटवाडा कर दर्ज कर दी। जबकि वादग्रस्त कृषि भूमि पुश्तैनी नही होकर अकेले नाथू पिता दूलजी अहिर के खाते व कब्जे की भूमि थी। हरला पिता दूल जी अहिर ने नाथू पिता दूल जी के अकेले के नाम पुश्तैनी दर्ज होने के आधार पर सक्षम न्यायालय में वादप्रस्तुत कर बराबर के हिस्से में दर्ज कराने हेतु घोषणा का वाद प्रस्तुत नही किया। बन्दोबस्त अधिकारी को किसी खातेदार के खाते में दर्ज भूमि को पुश्तैनी मानकर दूसरे भाई को खातेदारी दिये जाने व बटवाडा करने का अधिकार

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

नही था। बन्दोबस्त विभाग को किसी भी कृषि भूमि की खातेदारी का अधिकार नही है। प्रतिवादी नं. एक नाथू पिता दूलजी अहिर की पुत्री है। किन्तु वाद लाने के लिए राजी नही होने से उसे प्रतिवादी बनाया गया है। प्रतिवादी नं. 2 व 3 के नाम पर गलत तरिके से उन्हे प्राप्त खातेदारी भूमि से अनुचित आर्थिक लाभ लेने के लिए प्रतिवादी नं. 4 को भूमि विक्रय कर दी इसलिए वर्तमान में वादग्रस्त जायदाद ख.नं. 515 रकबा 0.3237 हैक्टेयर, खसरा नं. 517 रकबा 0.4613 हैक्टेयर, खसरा नं. 754/516 रकबा 0.3723 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 1.1523 हैक्टेयर उसके नाम दर्ज है। उक्त वादग्रस्त खसरा नम्बरान की भूमि से प्रतिवादी नं. 4 की खातेदारी समाप्त की जाकर वादग्रस्त जायदाद कृषि भूमि को वादीगण व प्रतिवादिया नं.एक नाम दर्ज किये जाने हेतु घोषणा का वाद वादीगण लाये है। साथ ही वादीगण के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण क्रमांक 2 से 4 तक को बाधा उत्पन्न करने से रोकने व गलत रूप से प्राप्त खातेदारी के आधार पर प्रतिवादिया नं. 4 को वादीगण को बैदखल नही करे इसलिए स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के अनुतोष का वाद वादीगण ने प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी नं. 5 लैण्ड होल्डर है प्रतिवादिया नं. 4 वादग्रस्त जायदाद कृषि भूमि को विक्रय कर राजस्व अभिलेखों में परिवर्तन नही करावें इसलिए प्रतिवादी नं. 5 आवश्यक पक्षकार होने से उसे प्रतिवादी बनाया गया है।

न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन करने पर प्रतिवादी नं. 2, 3, व 4 की और से क्रमशः दिनांक 16.05.2013 एवंम 13.06.2013 को एडवोकेट मुकेश जी ने अण्डर टेकींग ली। प्रतिवादी नं. एक उपस्थित नही हुयी व प्रतिवादी नं. 5 स्वंय उपस्थित हुये। किन्तु उन्होने कोई जवाब प्रस्तुत नही किया। प्रतिवादी नं. 2 से 4 तक को दिनांक 11.06.2014 तक निरन्तर जवाब प्रस्तुत करने के कइ अवसर दिये गये किन्तु एक वर्ष तक जवाब प्रस्तुत नही किया गया दिनांक 11.06.2014 को प्रतिवादी नं. 2 से 4 तक की और से जवाब पेश नही होने से उनका जवाब का अवसर समाप्त किया गया। पत्रावली को वास्ते साश्य में लगया गया। दिनांक 19.03.2015 को वादीगण ने वादी पी.डब्ल्यू एक अमर लाल गवाह पी.डब्ल्यू 2 किसनलाल व गवाह पी.डब्ल्यू 3 के बयाल करवा अपनी साश्य बन्दी की। पत्रावली बहस हेतु लगायी जाकर दिनांक 07.05.2015 को सुनवायी की तारिख दी गयी।

दिनांक 21.12.2016 को वादी नं. एक व तीन की मृत्यु हो जाने से उसके कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र उसके वारिसान ने पेश किया जिसका दिनांक 20.07.2017 को स्वीकार किया गया व संशोधित बाद शीर्षक रेकार्ड पर लिया गया। दिनांक 5.04.2018 को प्रतिवादी नं. 1 व 2 के कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश किया। दिनांक 05.11.2019 को मृतक प्रतिवादी नं. 1 व प्रतिवादी नं. 2 के कायम मुकाम उपस्थित नही हुये। उनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही की गयी।

प्रतिवादीगण के अभिभाषक की और से प्रतिवादीगण का जवाब दिनांक 28.09.2022 को पेश किया। किन्तु उनका जवाब दिनांक 11.06.2014 को बन्द कर दिया गया। जवाब का अवसर समाप्त हो जाने के बाद न्यायालय की बिना अनुमति के जवाब पेश किया गया न ही प्रतिवादीगण की और से जवाब पेश करने की अनुमति का प्रार्थना पत्र पेश किया। इसलिए विधि के अनुसार जवाब उचित नही होने से केवल पत्रावली पर लिया गया। चूंकि वादी की साश्य भी दिनांक 19.03.2015 हो चुकी है इसलिए जवाब के संदर्भ में कोई कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित नही होने से पूर्ववत पत्रावली बहस में रखी गयी।

दिनांक 22.06.2023 को प्रतिवादीगण के अभिभाषक की और से लिखित बहस पेश की गयी। वादीगण की और से भी दिनांक 07.03.2024 को लिखित बहस प्रस्तुत की गयी। अभिभाषक वादीगण की और से की गयी बहस के अनुसार निवेदन किया गया की वादीगण व प्रतिवादी संख्या एक से सम्बन्धित उनके पिता नाथू पिता दूलजी अहिर मौजा झाडोली स्थित खसरा नं. 210, 211, 212, 215 व 216 के बन्दोबस्त पूर्व अकेले खातेदार थे जिसकी जमाबन्दी पेश की है। गत बन्दोबस्ती खसरा नम्बरान के वर्तमान बन्दोबस्त में बने खसरा नं. 515, 517 व 754/516 बने उसका मिलान खसरा पेश किया है बन्दोबस्त बाद की जमाबन्दी जिसमें जीवण पिता गोपाल अहिर 1/3 नानी पिता गोपाल 1/3 व सुशीला पत्नी गंगाराम 1/2 के नाम वादग्रस्त भूमि दर्ज है पेश की है। व वर्तमान चालू जमाबन्दी जिसमें कुलिया वादग्रस्त भूमि प्रतिवादिया नं. 4 के नाम पर वर्तमान नाप के अनुसार दर्ज है पेश की हैं।

वादी गवाह पी.डब्ल्यू 1 अमर लाल के बयान के अनुसार जिन खसरा नम्बरान की भूमि बाबत अनुतोष मांगा गया है वह उसके पिता नाथू पिता दूल जी अहीर की खातेदारी में वर्तमान बन्दोबस्त से पूर्व नाथू जी अहिर की खातेदारी भूमि है। जो रेकार्ड बन्दोबस्ती सिद्ध करवाया है जमाबन्दी पेश कर व मिलान खसरा नये पुराने नम्बरान का तुलनात्मक रूप से सिद्ध करवाने हेतु पेश किया है। बन्दोबस्त अधिकारी ने वादग्रस्त खसरा हरला पिता दूलजी अहिर के नाम भूमि दर्ज कर दी उसका मिलान खसरे में विवरण दर्ज है। बन्दोबस्त के पश्चात् जिन खातेदारों के नाम दर्ज हुयी जमाबन्दी पेश की है। व वर्तमान समय की चालू

लगातार पेज संख्या 04 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

जमाबन्दी पेश की। वादीगण का वादग्रस्त जमीन पर कब्जा है। वादीगण बन्दोबस्त विभाग द्वारा गलत तरिके व बिना अधिकार के नाथू पिता दूलजी के खातेदारी समाप्त कर हरलाल पिता दूल जी के वारिसान के नाम भूमि दर्ज करायी जावे। क्योंकि वादीगण व प्रतिवादी नं. एक नाथू पिता दूल जी के उत्तराधिकारी है। वादीगण के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा उनका कब्जा होने से जारी की जावे क्योंकि प्रतिवादी नं. 2, 3 व 4 वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न कर बैदखल कर सकते है वादीगण की और से प्रस्तुत गवाह पी.डब्ल्यू 2 किसन लाल गवाह पी.डब्ल्यू 3 देवीलाल ने वादी पी.डब्ल्यू एक के बयानों की ताईद की है। नाथू जी अहिर की जमीन होना स्वीकार किया व वादीगण का कब्जा व नाथू जी के वारिस होना भी स्वीकार किया है।

बन्दोबस्त विभाग को नाथू पिता दूल जी अहिर की खातेदारी में दर्ज भूमि को बिना सक्षम न्यायालय की डिक्री अथवा आदेश के नाथूजी की खातेदारी विलोपित कर उसके भाई हर लाल पिता दूलजी अहिर की खातेदारी में भूमि दर्ज करने का अधिकार नही था। बन्दोबस्त अधिकारी ने विधि विरूद्ध अपने अधिकार क्षैत्र से बाहर जाकर राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन किये इसलिए हरला जी को दी गयी खातेदारी प्रारम्भ से दी अवैध है। अभिभाषक वादीगण की और से निम्न न्यायिक उदहरण प्रस्तुत किये गये।

आर. एल. डब्ल्यू 2009 (1) आर. जे. 778

इसमें यह निर्णय पारित हुआ कि बन्दोबस्त अधिकारी को मुल खातेदारी के पृष्ठाकंन के विपरित नये इन्द्राज करने का अधिकार नही है। यह बिना अधिकार के किया गया कृत्य है। केवल सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय के आदेश से खातेदारी बाबत् इन्द्राज परिवर्तन हो सकते है। अवैध इन्द्राजी के आधार बन्दोबस्त रेकार्ड की कोई विधिक मान्यता नही है।

आर. बी. जे 2003 पेज 118

बन्दोबस्त अधिकारी को यह अधिकार नही है कि वह मुल इन्द्राज को बदल सके।

आर. बी. जे 2010 पेज 285

बन्दोबस्त विभाग को किसी भी इन्द्राज को परिर्वतन करने का अधिकार नही है। बन्दोबस्त विभाग किसी खातेदारी भूमि का बंटवाडा अलग अलग व्यक्तियों के नाम भूमि दर्ज करने का अधिकार नही है।

आर. आर. डी. 2013 पेज 221

किसी भी राजस्व अधिकारी अथवा पंचायत को सहमती अथवा शपथ पत्र के आधार पर किसी भी खातेदार की भूमि को उसके खाते से हटाया जाकर दूसरे के नाम के भूमि दर्ज करने का आदेश देने का अधिकार नही है। खातेदारी समाप्त करने व देने के लिए निष्पादित किये वाला पंजीकृत दस्तावेज होना आवश्यक है।

अभिभाषक वादीगण ने यह भी निवेदन किया कि प्रतिवादीगण ने केवल लिखित बहस प्रस्तुत की है उनकी और से कोई राजस्व रेकार्ड पेश नही किया है कि जिससे यह साबित हुआ कि जिस वादग्रस्त खसरा नम्बरान की खातेदारी हरला पिता दूलजी अहिर को दी गयी वह नाथू जी व हरला जी के पिता दूलजी के खाते में दर्ज भूमि थी तथा उससे पूर्व उनके पूर्वजो के खाते में दर्ज रही भूमि है इसलिए बन्दोबस्त अधिकारी का नाथू पिता दूलजी अहिर के खाते की भूमि में कटौती कर हर लाल पिता दूलजी अहिर के खाते में भूमि में दर्ज करना वैध है। और हरला जी को वादग्रस्त जायदाद की वैध खातेदार प्राप्त हो गयी उसके बाद उनके वारिसान के नाम भूमि सही दर्ज की गयी व प्रतिवादीया नं. 4 को किया गया विक्रय वैध है क्योंकि विक्रेता भूमि के वैध खातेदार थे। इसलिए प्रतिवादिया नं. 4 सुशीला की खातेदारी से भूमि हटाकर वादीगण के नाम दर्ज नही की जा सकती है। प्रतिवादीगण की और से कोई भी साश्य व जवाब दावा पेश नही किया गया जो विधिनुसार होकर समय पर पेश किया गया हो। उनकी और से कब्जा प्रतिवादीगण क्रमांक 2 व 3 के बाद प्रतिवादियां नं. 4 का रहा हो इस बाबत भी कोई साश्य पेश नही की गई। जहां तक मिलान खसरे में रकबे में अन्तर आ रहा है प्रतिवादीगण को बहस में यह बिन्दु उठाया गया।

वादीगण की ओर से इस बाबत निवेदन किया गया कि यह केवल जोड में आया अन्तर हैं वर्तमान खसरा नं. 517 मिलान खसरे के कॉलम नं. दो दर्शाया गया उसको गतबन्दोबस्ती खसरा नं. 210 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं. 211 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नं. 215 का रकबा 6 बिस्वा, खसरा नं. 216 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा से बनना मिलान खसरे के कॉलम नं. 9 में दर्शाया गया है उसको सही जोडने पर 3 बीघा 19 बिस्वा बनेगा। इसी प्रकार खसरा नं. 754/516 को गत बन्दोबस्ती खसरा नं. 215 केव 266 से

लगातार पेज संख्या 05 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

बनाया किन्तु 3 का कालम संख्या 2 में रकबा नही लिखा गया इसलिए प्रतिवादीगण ने मिलान खसरे का बिना अवलोकन किये व त्रुटी पूर्ण रकबे को नजर अन्दाज किया गया है। जबकि सही गणना करने पर वादपत्र में लिखा गया रकबा सही है।

प्रतिवादीगण की और से लिखित बहस में यह आपत्ती ली है कि वादीगणको सुशीला प्रतिवादिया नं. 4 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र को दिवानी न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर खारिज करवाना चाहिये। इसके लिए उन्होने न्यायिक निर्णय आर.आर. डी 212 पेश की वादीगण का इसके प्रतितौर में उच्च न्यायालय का निर्णय पेश किया।

आर. बी. जे 2017 पेज 330 (उच्च न्यायालय)

निवेदन किया कि हरला पिता दूलजी अहिर को प्रथम तो बन्दोबस्त विभाग बिना किसी अधिकार के खातेदारी दी जब कि बन्दोबस्त विभाग से किसी खातेदार की खातेदारी को विलोपित करने का व उस विलोपित खातेदारी भूमि को अन्य को खातेदारी देना का ही अधिकारी ही नही है। इसलिए हरला पिता दूल जी अहिर को दी गयी खातेदारी मुलतः अवैध व शून्य है। यदि किसी को विधि विरूद्ध तरिके से खातेदारी प्राप्त हो गयी है तो वह न तो खातेदार माना जायेगा न ही ऐसी खातेदारी से उसे कब्जा प्राप्त होगा। उसकी मृत्यु के उसके वारिसान को भी ऐसी भूमि की खातेदारी व कब्जा प्राप्त नही होगा।

मुलतः अवैध शून्य प्राप्त खातेदारी के आधार पर प्राप्त खातेदारी भूमि का विक्रय पत्र भी मूलतः अवैध व शून्य है ऐसे विक्रय पत्र बाबत राजस्व न्यायालय विक्रय पत्र के सम्बध में वैधता की सुनवायी कर सकता है वादीगण को विक्रय पत्र खारिज करवाने के लिए दिवानी न्यायालय में बाद पेश करने की आवश्यकता ही नही है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत लाये गये घोषणा के वाद का निर्णय राजस्व न्यायालय कर सकता है धारा 207 रा0 टि0 एक्ट राजस्व न्यायालय को यह अधिकार देता है व दिवानी न्यायालय में ऐसा वाद लाना वर्जित किया गया है।

धारा 88 रा0टि0 एक्ट के तहत वाद लाने की कोई समय सीमा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से वाद लाने की समय में उक्त धारा बाबत वाद की कोई समय सीमा तय नही की गयी। अन्त में निवेदन किया गया कि वादीगण को खसरा नं. 515, 517, 754/516 का खातेदार घोषित कराया जावे साथ प्रतिवादीगण क्रमांक 2 से 4 तक को वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नही करने बैदखल नही करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। कि प्रतिवादीगण ने निवेदन किया कि उन्होने न्यायिक निर्णय व लिखित बहस प्रस्तुत कर न्यायालय के समक्ष वादपत्र खारिज करने के तथ्य लिखे है उस पर न्यायालय विचार कर वादीगण का वाद खारिज करें।

दोनों पक्षों की लिखित व मौखिक बहस सुनकर पत्रावली पर उपस्थित साश्य व दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया इस न्यायालय का निर्णय इस प्रकार है :– कि वादीगण ने जिस कृषि खातेदारी भूमि की खातेदारी भूमि का घोषणात्मक का वाद प्रस्तुत किया है वह नाथू पिता दूलजी अहिर के खाते में बन्दोबस्त पूर्व दर्ज भूमि थी उसकी जमाबन्दी पेश की व मिलान खसरा भी पेश किया। वर्तमान राजस्व अभिलेख जिसमें वादग्रस्त जायदाद हरला पिता दूलजी अहिर के खाते में गलत दर्ज होना सिद्ध हुआ है। इस सम्बन्धी दस्तावेज साश्य से यह प्रमाणित है कि नाथू पिता दूलजी अहिर की खातेदारी कृषि भूमि में से वादग्रस्त खसरा नम्बरान की भूमि को बिना सक्षम न्यायालय की डिक्री व आदेश के बन्दोबस्त विभाग के बन्दोबस्त अधिकारी ने पुश्तैनी जायदाद होना बताकर नाथू अहिर के भाई हरला अहिर हो खातेदारी देते हुए अलग खाते में दर्ज कर दी। वादीगण ने जो न्यायिक दुष्टान्त प्रस्तुत किये है उससे स्पष्ट है कि बन्दोबस्त विभाग ने अपने बिना क्षैत्राधिकार के आदेश से हरला पुत्र दूल जी अहिर को वादग्रस्त नम्बरान की खातेदारी दे दी। जो कानूनी वैध होनानही माना जा सकता है। ऐसा कोई भी दस्तावेजी रेकार्ड या साक्ष्य प्रतिवादीगण की और से प्रस्तुत नही हुयी है कि वादग्रस्त जायदाद नाथू व हरला के पिता दूल जी के खाते में भूमि रही है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त खसरा नम्बरान वाली कृषि भूमि नाथू पिता दूलजी के अकेले खाते की होना सिद्ध होना माना जायेगा बन्दोबस्त विभाग द्वारा हरला पुत्र दूलजी को दी गयी खातेदारी वैध व उचित नही है। वादीगण व प्रतिवादी नं. एक जो नाथू पिता दूलजी अहिर के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकार होने से उन्हे वादग्रस्त खसरा नम्बरान 515 रकबा 0.3237 हैक्टेयर खसरा नं. 517 रकबा 0.4613 हैक्टेयर खसरा नं. 754/516 रकबा 0.3723 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 1.1573 हैक्टेयर का खातेदार घोषित किया जाता है। वर्तमान में उक्त खसरा नम्बरान व उसका रकबा प्रतिवादी नं. 4 के नाम दर्ज है उसके खाते से हटाया जाकर वादी क्रम एक मृतक मोहनलाल के उत्तराधिकारी हजारी पुत्र मोहन खाना पुत्र मोहन, केसर पुत्री मोहन अहिर, वादी क्रमांक 2 अमर लाल पुत्र नाथू अहिर एवंम वादिया क्रम 3 की मृत्यु होने से उसके पुत्र गोपी पुत्र नन्दु अहिर के नाम दर्ज राजस्व अभिलेख किये जाने के आदेश दिये जाते है।

लगातार पेज संख्या 06 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

जहां तक विक्रय पत्र को दिवानी न्यायालय से खारिज कराने का प्रश्न है। चूंकि बन्दोबस्त भाग ने बिना किसी अधिकार के अवैध खातेदारी हरला पुत्र दूलजी अहिर को प्रदान की वह प्रारम्भ से ही वैध व शून्य है ऐसे विक्रय पत्रों के सम्बन्ध में राजस्व न्यायालय को सुनने का अधिकार है वादीगण की और प्रस्तुत माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से स्पष्ट है कि धारा 207 रा0टि0 एक्ट के तहत राजस्व न्यायालय स पर विचार कर विक्रय पत्र की वैधता देख सकता है दिवानी न्यायालय का ऐसे विक्रय पत्र पर विचार रने से वर्जित किया गया है। इसलिए प्रतिवादीगण को इस आपत्ती को अमान्य माना जाता है। प्रतिवादीगण का इस बाबत् प्रस्तुत न्यायिक निर्णय इस मामले में लागू नही होता है।

वादीगण द्वारा वादग्रस्त खसरा नम्बरान को भूमि काबिज हो काश्त की जा रही है इसके बाबत् वादीगण की साश्य पत्रावली पर है इसके रिबिटल में प्रतिवादीगण की कोई साश्य नही है। इसलिए प्रतिवादीया नं. 4 जो कि वर्तमान समय में वादग्रस्त जायदाद की खातेदार है उसे जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वह वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नही करे न वादीगण का कब्जा वादग्रस्त जायदाद से हटा कब्जा स्वंय लेवें।

–:: आदेश ::–.

वादीगण क्रमांक 01 के कायम मुकाम हजारी, खाना, केसर वादी संख्या 02 अमरलाल एवं वादी संख्या 03 के कायम मुकाम गोपी पुत्र लक्ष्मीनारायण अहीर एवं प्रतिवादी संख्या 01 के कायम मुकाम सोला, गुलाबी , फोरी पुत्री नगजीराम को मौजा झाडोली प0ह0 सलावटिया तहसील बिजौलियां स्थित खसरा नं. 515 रकबा 0.3237 हैक्टेयर, खसरा नं. 517 रकबा 0.4613 हैक्टेयर, खसरा नं. 754/516 रकबा 0.3723 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 1.1573 हैक्टेयर का खातेदार काश्त कर घोषित किया जाता है व प्रतिवादीया नं. 4 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य की जारी की जाती है कि वह वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा नही पहुंचाये एवं उन्हे जबरन बेदखल नही करे इसी अनुसार डिक्री मुर्तिब की जावे।

प्रतिवादी नं. 5 को तहरीर जारी होकर निर्णय की पालना में वादग्रस्त जायदाद राजस्व अभिलेखों में दर्ज अभिलेख की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक ....28..../.....08..../2024 को सुनाया गया वाद मुर्तिब डिक्री के पत्रावली फैसल शुमार की जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)